दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time allowed: Three Hours	DTVF/23 (J-A)–M–**GSM (P-III)-2302**	अधिकतम अंक: 250 Maximum Marks: 250

Name: Payal Gwalwanshi **Mobile Number:** ______________

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** ______________

Center & Date: Mukharjee nagar 27-06-2023 **UPSC Roll No. (If allotted):** 0845817

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. "अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है।" प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द) 10

"Repromulgation of Ordinance is a fraud on the constitution and a subversion of democratic legislative process". Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

अध्यादेश पारित करने की स्थिति

जब संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) या कोई सदन प्रक्रिया में शामिल न हो या विघटित हो, तब विधायी अंतराल को पूरा करने हेतु अध्यादेश पारित किया जाता है।

अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन

राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को, दोनों सदनों के सत्र प्रारम्भ होने के बावजूद 6 सप्ताह के बाद पुनः जारी करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वामनराव मामला - वामनराव मामले मे अध्यादेशों के पुन: प्रख्यापन को लोकतंत्र की विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया है।

कारण

(1) विधायी कार्य का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित विधायिका को प्राप्त है।

(2) शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन

(3) कार्यपालिका को अधिक शक्ति देना

(4) विपक्ष के तर्कों को दरकिनार करना।

समाधान

(1) अध्यादेशों को सत्र प्रारम्भ होने पर संसद में पुन: पारित कर वैधता प्रदान करना।

(2) अति आवश्यक स्थिति में ही सहारा लेना

(3) जिन मुद्दों पर विधायिका कानून बना सकती है, उन्हीं पर अध्यादेश पारित करना।

इस प्रकार शक्ति के पृथक्करण हेतु अध्यादेशों पर सकारात्मक प्रतिबंध आवश्यक है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Doctrine of basic structure is both necessary and desirable." Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान मे प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को संविधान मे वैधता दी गई।

मूल संरचना के सिद्धांत की आवश्यकता

(1) संसद की संविधान को संशोधन करने की मनमानी शक्ति पर रोक हेतु।

(2) संविधान के मूलभूत सिद्धांत जैसे - विधि का शासन, मौलिक अधिकारों आदि की रक्षा हेतु

(3) न्यायपालिका द्वारा संविधान के संरक्षक की भूमिका हेतु।

(4) संघीय ढाँचे की वैधता बनाये रखने हेतु

मूल संरचना के सिद्धांत की कमियां।

(1) न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(२) संसद की सम्प्रभुता को कमजोर करना।

(३) जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्वों के अधिकारों को कम करना

(४) मूल संरचना के ढांचे की अनिश्चितता

उपरोक्त कमियों के कारण मूल ढांचे के सिद्धांत पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध दिखायी देता है।

समाधान

(1) मूल ढांचे की सूची की स्पष्टता

(२) न्यायिक संयमता को बढ़ावा

(3) अति आवश्यक विषयों को ही शामिल करना।

इस प्रकार, समय के साथ संविधान की जीवंतता और वैधता को बनाये रखने हेतु मूल ढांचे का सिद्धांत आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्द्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the significance of India's diaspora and its role in enhancing India's economic and strategic interests. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रवासी समुदाय, विश्व के विभिन्न देशों में उपस्थित है जो भारत की विदेश नीति को सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करता है।

भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता

(1) भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में

(२) विदेशी प्रेषण (Remittance) प्राप्ति में

(3) भारत की सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने में

(४) निवेश आकर्षित करने में सहायक

आर्थिक संवर्द्धन में सहायक

→ निवेश आकर्षित करने में
→ रोजगार प्राप्ति में
→ प्रेषण और अनुदान प्राप्ति में
→ व्यापार और निर्यात बढ़ाने में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामरिक हितों के संदर्भ में

→ रक्षा समझौते आदि को बढ़ावा
उदा० अमेरिका द्वारा COMCASA, GSOMIA

→ संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्व हेतु समर्थन में सहायक
उदा० UK द्वारा UNSC में सदस्यता हेतु

→ भारत की आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा जैसी नीतियों के समर्थन में

प्रासंगिकता को बनाये रखने हेतु प्रयास

(1) प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन
(2) प्रवासी भारतीय संबंधी मंत्रालय को विदेशी मंत्रालय में शामिल करना
(3) भारत जानो कार्यक्रम

इस प्रकार भारतीय प्रवासी समुदाय, भारत की सॉफ्ट पॉवर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"National Green Tribunal (NGT) is a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country." In this context analyse the importance of NGT for environmental governance of the nation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 323 B में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन का प्रावधान है।

NGT की शक्तियाँ एवं कार्य

(1) NGT को अर्द्ध न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
(2) पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति
(3) पर्यावरणीय विषयों पर कानून और विनियमन बनाने की शक्ति
उदा० पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु
(4) पर्यावरणीय मुद्दों पर उल्लंघन होने पर दण्ड देने की सिफारिश की शक्ति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

NGT का महत्व

(1) पर्यावरण विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में
(2) प्राकृतिक न्याय का पालन करना
(3) सतत् विकास लक्ष्यों के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक।

NGT की कमियाँ

(1) पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को हल करने में अधिक समय लेना
(2) आर्थिक विकास की उपेक्षा (कुछ मामलों में)
(3) क्षतिपूर्ति और मुआवजा संबंधी अधिकार नहीं।

आगे की राह

(1) NGT के सुदृढ़ीकरण हेतु मानक ढाँचा बनाना
(2) NGT के सदस्यों की संख्या में वृद्धि
(3) शक्ति का हस्तांतरण।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The great contribution of Judicial activism in India has been to provide a safety valve and a hope that justice is not beyond reach. Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को मूल ढाँचे में शामिल किया गया है।

न्यायिक सक्रियता – संसद की विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अपने कार्यों के प्रति उदासीनता होने पर, न्यायपालिका द्वारा विधायी कार्य करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है।

न्यायिक सक्रियता का महत्व

~~(1) विधायी उदासीनता को~~

(1) लोगों तक सही समय पर कानूनों की पहुँच सुनिश्चित करना।
(2) संसद के असमर्थ होने पर अंतराल को पूरा करने में।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(7) अनुच्छेद-142 के उद्देश्य की पूर्ति में

न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क

(1) संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप

(2) शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध

(3) जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधित्वों की उपेक्षा

(4) संसद के महत्व को कम करना

आगे की राह

(1) न्यायपालिका द्वारा न्यायिक संयमता का पालना करना चाहिये।

(2) अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही कानून बनाना

निष्कर्ष: लोकतंत्र और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत जिसका राज्य के नीति निदेशक तत्व अनु 50 में उल्लेख है, पालन हेतु न्यायिक कार्यों पर संयमता आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं? (150 शब्द) 10
To what extent do you agree with the concept of state financing of elections? (150 words) 10

भारतीय चुनाव में राज्य वित्त-पोषण को स्पष्ट, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया, चुनावी प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ाना है।

इस हेतु इलेक्ट्रोल बॉण्ड जैसे उपायों की आवश्यकता है।

राज्य वित्तपोषण के पक्ष में तर्क

(1) चुनावी प्रक्रिया के संचालन हेतु

(2) राजनीतिक दलों को अपने [struck-through] संचालन में सहायक

(3) कमजोर वर्गों के चुनाव में [struck-through] समावेशीकरण हेतु

(4) लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु

[struck-through] साथ ही, राज्यपोषण की अवधारणा में कमियां भी है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

विपक्ष में तर्क

(1) भेदभाव की नीति को बढ़ावा
(2) क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा
(3) अत्यधिक धन का खर्च
(4) वित्तपोषण की सीमा में अस्पष्टता
(5) वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार, कालेधन को बढ़ावा।

समाधान

(1) इलेक्टोरल बाण्ड का प्रयोग
(2) राज्य वित्तपोषण की सीमा तय करना
(3) निजी धन के उपयोग की सीमा तय करना
(4) चुनावी प्रणाली राजनीतिकरण को रोकना।

इस प्रकार, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया हेतु राज्य वित्तपोषण संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश होना आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Social Audit is an important mechanism to enforce accountability and provide transparency in the administration. Highlight various legislative supports available for social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण, सुशासन की स्थापना का मूलभूत आधार है जो शासन में जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता जैसे मूल्यों को समाहित करता है।

सामाजिक अंकेक्षण का महत्व

(1) योजनाओं के वित्तपोषण को सुनिश्चित करने में सहायक
(2) भ्रष्टाचार रोकने में सहायक
(3) शासन के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में
(4) सार्वजनिक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि लाभों का वंचित वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

सामाजिक अंकेक्षण तंत्र की कमियाँ

(1) अधिकारियों के बीच गठजोड़ की राजनीति

(2) सामाजिक अंकेक्षण के प्रति उदासीनता।

(3) दण्डात्मक कार्यवाही की कमी

विधायी समर्थन

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

8. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्त्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The proposed multi-state cooperative societies (Amendment) Bill 2022 seeks to revamp the operation of cooperative societies in India. Discuss the key provisions of the Bill, emphasizing the importance of this amendment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में सहकारिता को 97th संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9B में जोड़ा गया था। वर्ष 2019 में पृथक सहकारिता मंत्रालय की भी स्थापना की गई।

प्रस्तावित बहु राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रावधान

(1) राज्यों के बीच सहकारिता के सिद्धांत को लागू करना

(2) मॉडल सहकारी अधिनियम के माध्यम से असमानता को खत्म करना

(3) सहकारी संघवाद को बढ़ावा

(4) क्षेत्रीय असमानता को कम करना।

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सहकारी समितियों के संदर्भ में

(1) सहकारी समितियों के संरचनात्मक सुधार में सहायक

(2) नियमों में स्पष्टता होने पर संचालन में सहायक

(3) राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने में सहायक

कमियाँ -

(1) सहकारिता, राज्य सूची का विषय है और केन्द्र द्वारा अधिनियम बनाना, हस्तक्षेप है।

(2) संघवाद को चुनौती

(3) राज्यों द्वारा समर्थन में कमी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (150 शब्द) 10

Critically evaluate the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, that seeks to establish democracy at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत की प्राप्ति हेतु भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की स्थापना की गई।

इस हेतु संविधान में एक नया भाग-9 और 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।

73 वें संविधान संशोधन के प्रावधान

(1) स्थानीय ग्रामीण स्वशासन अर्थात् पंचायती संस्थाओं का संवैधानिकरण।

(2) त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था

(3) महिलाओं हेतु 33% आरक्षण

(4) राज्य निर्वाचन आयोग का गठन

(5) राज्य वित्त आयोग का गठन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

महत्व

(1) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
(2) महिला सशक्तिकरण
(3) स्थानीय लोगों की राजनीति में भागीदारी
(4) स्थानीय विकास, अवसंरचना निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य के विकास में सहायक
(5) पिछले वर्गों जैसे SC और ST को मुख्य धारा में लाने में सहायक

कमियाँ – समानांतर सरकार का निर्माण
(1) वित्त का अभाव
(2) संरचनात्मक ढांचे की कमी
(3) करों के आरोपण की सीमित शक्ति
(4) राज्य सरकार और केन्द्र सरकारों पर वित्त हेतु निर्भरता
(5) प्रधान पति और सरपंच पति आदि के कारण महिला सशक्तिकरण का पूरा न होना

आगे की राह – करारोपण के अधिक अधिकार
– सामाजिक ऑडिट
– प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Delay in Population census has the potential to affect the efficacy and efficiency of developmental initiatives. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में वर्ष 1882 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। जो भारतीय जनसंख्या के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधी विषयों में आंकड़े प्रदान करती है।

जनगणना का महत्व

1) जनसंख्या संबंधी आंकड़े सामाजिक संरचना जैसे– लिंगानुपात, शिशु दर, स्वास्थ्य दर आदि की स्पष्टता देते हैं।
2) योजनाओं को विशेष और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने में सहायक
3) योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक
4) नीति निर्माण का आधार

COVID-19 के कारण वर्ष 2020-21 की जनगणना में देरी हुई है अतः जनगणना संबंधी आंकड़े अभी भी प्रदर्शित नहीं हो पाए हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जनगणना में देरी के प्रभाव

(1) विकासात्मक पहलों के कार्यान्वयन में देरी

(2) वंचित वर्गों संबंधी आंकड़े न होने पर नीति निर्माण में कठिनाई

(3)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

11. बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द) 15

In light of the changing geopolitical landscape, what are the emerging areas of cooperation and potential challenges in the India-Japan strategic relationship? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

क्वाड (QUAD) नामक संगठन के माध्यम से भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया द्वारा हिन्द प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के विकास में सहयोग किया गया है।

भारत जापान संबंध

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने हेतु भारत-जापान संबंधों में सुधार हुआ है।

(1) भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के कौशल विकास हेतु सहयोग

(2) रोजगार प्राप्ति हेतु जापान में युवा जनसंख्या प्रवास

(3) अवसंरचना निर्माण में सहयोग। समर्थन

(4) आपदा प्रबंधन और आपदा अवरोधी संरचना प्रौद्योगिकी में सहायक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामरिक संबंध

1) भारत के मालाबार तट में जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, और भारत के बीच मालाबार एक्सरसाइज

2) भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास

3) समुद्री सुरक्षा हेतु जापान द्वारा भारत की सागर (SAGAR) पहल का समर्थन

4) समुद्री तस्करी, अवैध व्यापार आदि मुद्दों पर सहयोग

5) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता हेतु परस्पर सहयोग

6) चीन को संतुलित करने हेतु सहयोगात्मक सामरिक रणनीति।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

(1) भारत द्वारा RCEP में शामिल न होने कारण, व्यापार आदि में समस्या

(2) जापान द्वारा भारत के हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति बनने के डर के कारण अविश्वास की भावना

(3) भारत के जापान के व्यापारिक संबंध का नकारात्मक होना।

उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद, भारत और जापान के संबंध शान्तिपूर्ण रहे हैं। जो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के सदुपयोग में सहायक होंगे।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्त्व का आकलन कीजिये तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Assess the significance of the United Nations in the contemporary world and discuss the need for its reform and revitalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद 'लीग ऑफ नेशन' की स्थापना की गई थी। जिसका नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र किया गया। वैश्विक शान्ति और संतुलन की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

संयुक्त राष्ट्र की संरचना

(1) 5 स्थायी सदस्य
(2) 10 अस्थायी सदस्य
(3) 193 सदस्य देश

प्रमुख संस्थाए → UNGA, UNSC

संयुक्त का महत्व

(1) वैश्विक शान्ति और कानून सम्मत वैश्विक संरचना के निर्माण में
(2) अविकसित और विकासशील देशों के विकास में।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3) वैश्विक समस्याओं जैसे- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि की चर्चा हेतु।
(4) विभिन्न देशों में राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक संकट आदि के समाधान में
(5) सम्पूर्ण विश्व को एक मंच में लाकर, सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में

संयुक्त राष्ट्र की कमियाँ

(1) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों को समान महत्व नहीं दिया गया है।
(2) पाश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों को अधिक महत्व
(3) समता के सिद्धांत का उल्लंघन
(4) अधिक बिल प्रदान करने वाले देशों द्वारा प्रभावित होना और उनका पक्ष लेना।
(5) वीटो शक्ति का दुरुपयोग

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुधार और पुनरुद्धार

-> स्थापना के 77 साल बाद भी संस्थानात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है जो सुधार की मांग करता है।

-> विकासशील और अल्पविकसित देशों की सदस्यता में विस्तार होना चाहिये।

-> भारत, ब्राजील, जापान जैसे बड़े देशों की स्थायी सदस्यता देना

-> विकसित देशों की वीटो शक्ति को खत्म करना।

-> महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाना।

-चूंकि संयुक्त राष्ट्र एक सार्वभौमिक संस्था है अतः इसका समावेशी और समतामूलक होना आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. उन कारकों एवं भू-राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उठाने की आवश्यकता है। (250 शब्द) 15

Discuss factors and geopolitical interest which shapes India's engagement with central Asia. Also Mention steps which India need to take to enhance its reach in the region. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत ने मध्य एशिया से यूरोप की ओर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे) के निर्माण में सहयोग दिया है।

मध्य एशिया में शामिल देश

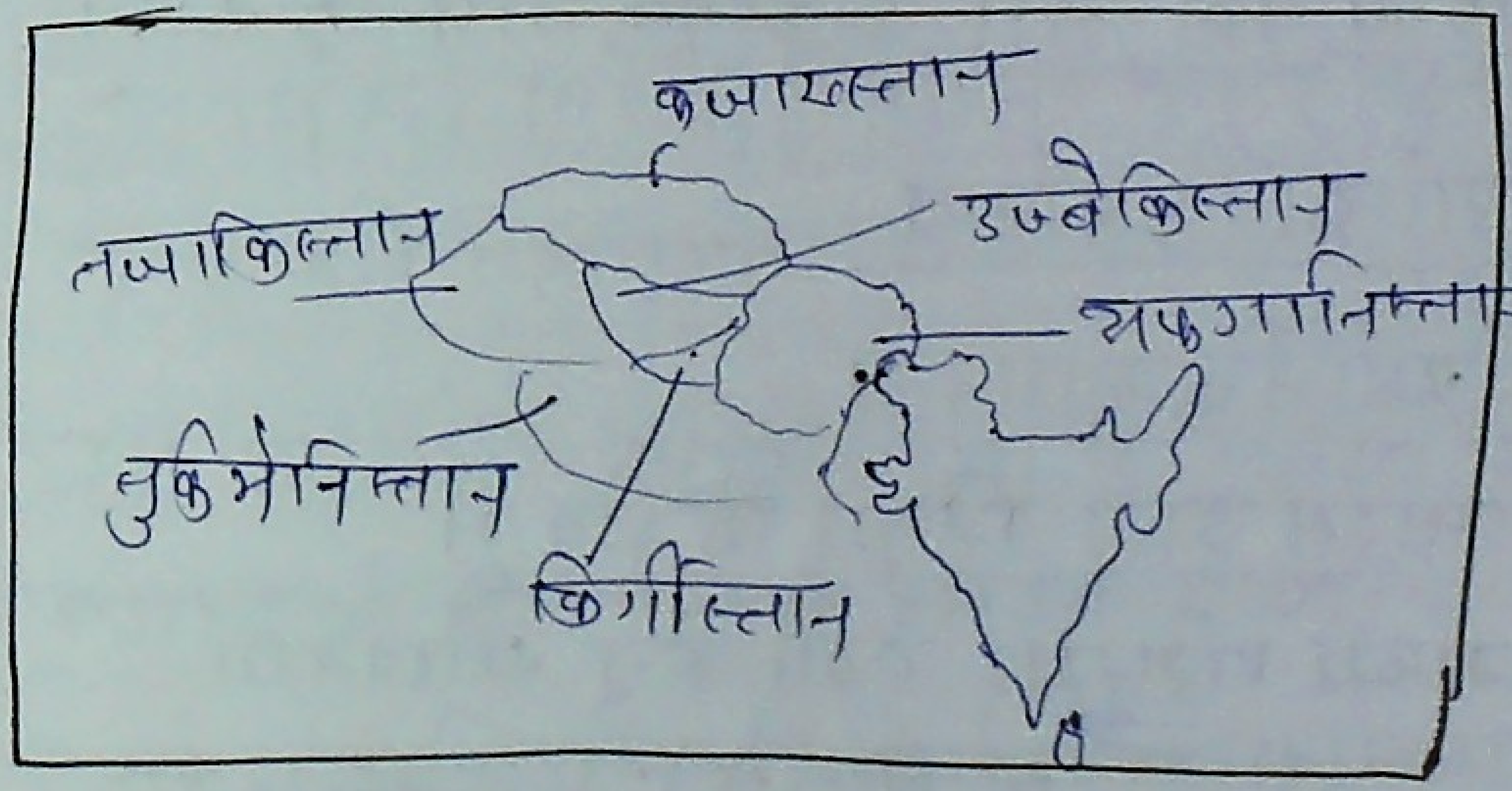

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत और मध्यएशिया के संबंध

(1) भूराजनीतिक संबंध

→ मध्य एशिया देशों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता

→ यूरोप तक पहुँच हेतु भूमार्ग

→ एशिया में भारत के नेतृत्व बढ़ने में सहायक

→ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के स्रोत

(2) सांस्कृतिक संबंध

→ धार्मिक समानता

→ भारत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों हेतु योजनाएँ

→ भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा मध्य एशिया की यात्रा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत द्वारा उठाये गए कदम

(1) ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुँच

(2) TAPI पाइपलाइन (अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, भारत) के माध्यम से गैस की प्राप्ति

(3) INSTC गलियारे के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास और यूरोप तक कनेक्टिविटी

इस प्रकार, मध्य एशिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा मध्य एशिया में निवेश के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ किया जा रहा है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की "आशा और अपेक्षा" की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा सकती है? (250 शब्द) 15

The founders of the Constitution had "hoped and expected" a Uniform Civil Code for India but there has been no attempt at framing one. In this regard discuss the need for a Uniform Civil Code in India and examine the challenges in its implementation. What steps can be taken by the government to overcome these challenges? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में भाग-4 के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनु० 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है।

अब तक केवल गोवा में ही लागू किया गया है।

समान नागरिक संहिता का महत्व

(1) सभी धर्मों हेतु समान नागरिक संहिता लागू करने में

(2) महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में

(3) कानूनों की जटिलता को खत्म कर समान नियम लागू करने में।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में आवश्यकता

(1) भारत में विभिन्न धर्मों द्वारा अपने-अपने पर्सनल लॉ लागू करने से जटिलता

(2) महिला के प्रति भेदभावपूर्ण पर्सनल लॉ होना

उदा० सायरो बानो मामले में - तीन तलाक का मुद्दा

(3) आपराधिक कानूनों की तरह ही, नागरिक कानूनों का समान संहिताकरण

(4) आधुनिकता और तार्किकता

(5) समानता के अधिकार हेतु

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

(1) धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन

(2) सामाजिक विद्रोह को बढ़ावा देगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(3) सभी धर्मों में लागू करना उनके पारम्परिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप होगा

(4) राज्य का धर्म में हस्तक्षेप होगा

सरकार द्वारा कदम

स्वतंत्रता बाद केवल हिन्दू धर्म हेतु 4 हिन्दू कोड बिल लाया गया है।

1) समान नागरिक संहिता के धीरे-धीरे कार्यान्वियन की आवश्यकता है।

2) लोगों को जागरूक कर स्वीकृति के पक्ष में करना

3) धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना।

विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अभी समान नागरिक संहिता को लागू करना, उतना भी आवश्यक नहीं है।

अतः सामाजिक सौहार्द के शुरू होने पर धीरे-धीरे शामिल करना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

15. "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल हैं लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The Indian Parliament is not a sovereign legislature; it has vast but not unlimited powers." Comment on the statement. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में संसदीय सम्प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है।

केशवानंद भारती मामले 1973 और 24 वे संविधान संशोधन के माध्यम से संसद की मूल ढांचे के भाग को संशोधित करने की शक्ति पर रोक लगाई गई है।

संसद की सीमित शक्ति होने के कारण -

(1) संविधान के कुछ भाग संशोधन के दायरे में नहीं आते है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) संसद, मनमानी शक्ति का प्रयोग कर संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती है।

(3) भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है परन्तु मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाये बिना

(4) न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है अतः मूल ढांचे के निर्धारण की शक्ति न्यायपालिका के पास है।

संसद का महत्व व शक्ति

1) संसद के सदस्य निर्वाचित होते है, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते है।

2) देश में विधि निर्माण और विधियों के लागू करने का अधिकार संसद

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

के पास है।

3) भारतीय संसद लोकतंत्र की प्रतिनिधि होती है।

समाधान

→ अतः लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हुए, न्यायपालिका द्वारा मूल ढांचे के निर्धारण में उचित कारणों का उपयोग करना

→ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना का सम्मान करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the objective, goals and significance of India's National Geospatial policy. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करती है। साथ ही 7516 km की समुद्री सीमा साझा करता है।

इस कारण भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति का महत्व अधिक है।

उद्देश्य

- पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सीमा संबंध बनाना
- सभी राज्यों को समान विकास के अवसर देना।
- राज्यों के बीच सीमा विवादों को सुलझाना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लक्ष्य

-> राज्यों के बीच सीमा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान
-> सीमा संघर्ष को कम करना
-> सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

महत्व

(1) देश के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विकास में सहायक
(2) संसाधनों के समान वितरण में सहायक
(3) प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

18. 'गरिमा मानव जीवन का सार है' और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

'Dignity is the essence of human life' and it is the objective of NHRC. Evaluate the performance of NHRC in preserving human rights. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना मे 'मानव हेतु गरीमापूर्ण' की बात स्पष्ट शब्दों मे की गई है।

अतः सम्मानपूर्ण जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

उदाहरण के रूप मे :- ट्रांसजेण्डर समुदाय को थर्ड जेण्डर की मान्यता देकर और धारा 377 को खत्म कर इस समुदाय की गरीमा का सम्मान किया गया। जो एक सराहनीय कदम है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रीय मानव अधिकार का लक्ष्य

वर्ष 1993 मे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नामक सांविधिक संस्था का गठन किया गया।

लक्ष्य - 1) समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना

2) अधिकारों के उल्लंघन मे क्षतिपूर्ति और मुआवजा हेतु सिफारिश करना

3) पीड़ित और वंचित वर्गों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर हल करना।

4) प्रवासन, स्वास्थ्य, आवास के अधिकारों की सुनिश्चितता की जाँच करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

NHRC की कमियाँ

(1) संवैधानिक दर्जा न होना।

(2) सिफारिशों का बाध्यकारी न होना

(3) मुआवजा और क्षतिपूर्ति देने की शक्ति का न होना

(4) सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान न देना।

उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु

कदम

→ अतिरिक्त शक्तियाँ देना।

→ संवैधानिक दर्जा देना

इस प्रकार, NHRC एक महत्वपूर्ण संस्था है जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करने में सहायक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Self Help Groups (SHGs) are the panacea for the socio-economic development of the country. Discuss the steps taken by the government to promote these groups. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

~~COVID-19 महामारी के~~

~~समय~~, स्वयं सहायता समूहों ने

स्थानीय स्तर में महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूह मूल आधार है।

सामाजिक विकास में महत्व

(1) बेरोजगारी की समस्या कोविडकाल में।

(2) गरीबी को कम करने में

(3) महिला सशक्तिकरण में

(4) महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाकर आजीविका सुधार में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(5) पितृसत्तात्मक समाज की मान्यता को खत्म करने में।

आर्थिक विकास में महत्व

(1) घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने में
(2) आय के अवसर बढ़ाने में
(3) ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में
(4) रोजगार सृजन
(5) बचत की आदत बढ़ाने
(6) आर्थिक समावेशन को बढ़ावा

स्वयं सहायता समूह का आशय

दो या दो से अधिक लोगों द्वारा आपस में वित्त की बचत, आदि द्वारा ऋण, आदि की सुविधा प्रदान कर, रोजगार को प्रोत्साहन देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकारी कदम

(1) जनधन योजना द्वारा आर्थिक समावेशन
(2) स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण देना
(3) जमा पैसों पर अतिरिक्त ब्याज के माध्यम से प्रोत्साहन
(4) रोजगार समर्थन

इस प्रकार, SEWA एक महत्वपूर्ण स्वयं सहायता समूह का उदाहरण है जिसके द्वारा बड़े स्तर में महिलाओं की आजीविका में सुधार हुआ है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation